राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)

बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

क्र. 3555/SEIAA/2022
दिनांक: 24-3-22

प्रति,

श्री विनय जैन आत्मज श्री पद्मचन्द्र जैन,
निवासी– 303 बद्रीविशाल प्लाजा रोड,
हाईकोर्ट लेन, ग्रिड, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

विषयः–प्रकरण क्र. 8806/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री विनय जैन आत्मज श्री पद्मचन्द्र जैन, निवासी– 303 बद्रीविशाल प्लाजा रोड हाईकोर्ट लेन, ग्रिड, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क. 1244, ग्राम उराहना, तहसील – बामोर, जिला मुरैना (म.प्र.)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 711वीं बैठक दिनांक 09.03.2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया .....

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 702वी बैठक दिनांक 28.01.2022 में निर्णय लिया गया :–

SEAC की 538वीं बैठक दिनांक 06.01.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार प्रस्तावित खदान के निकटतम 02 बांध संरचना होना परिलक्षित है। *माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है। जिसे मान्य करने पर न्यूनतम उत्खनन क्षेत्र उपलब्ध न होने कि स्थिति* ***होना परिलक्षित है।***

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त आदेश को मान्य करते हुये उक्त प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 25.02.2022 के माध्यम से प्रकरण को पुनः परीक्षण किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 28.01.2022 में लिया गया निर्णय यथावत रखा जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 28.01.2022 में लिया गया निर्णय यथावत रखा जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

Case No. 8806/2021